भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5362

05 अप्रैल, 2023 को उत्तर देने के लिए

केवीपीवाई

5362. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केवीपीवाई के अंतर्गत प्रोत्साहित किए गए और लाभान्वित हुए युवाओं की संख्या का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी, हां। सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति प्रदान कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। "अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर)" के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (एसएचई) घटक का उद्देश्य प्रमुख शोधकर्ताओं के साथ ग्रीष्मकालीन नियोजन के माध्यम से छात्रवृत्ति और सलाह प्रदान करके विज्ञान प्रधान कार्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिभाशाली युवाओं के जुड़ने की दर को बढ़ाना है।इंस्पायर-शी स्कीम में 17-22 वर्ष के आयु समूह के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्राकृतिक और बुनियादी विज्ञान में स्नातक और निष्णात स्तर की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष ₹ 5,000 प्रति माह की दर से 12,000 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाती है। कक्षा XII बोर्ड (राज्य या केंद्रीय) परीक्षाओं में शीर्ष 1% कट ऑफ अंक प्राप्त कर चुके और स्नातक / एकीकृत एमएससी या एमएस कार्यक्रम में विज्ञान पाठ्यक्रम का अनुशीलन कर रहे छात्र इंस्पायर छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। आवेदकों को विभिन्न आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईएसईआरआदि में मौलिक और प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक / एकीकृत स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के अनुशीलन के लिए भी छात्रवृत्ति मिलती है। इनका चयन राज्य / केंद्रीय विद्यालय परीक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में और / या चयनित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी-जेईई, आदि में निष्पादन (शीर्ष 1%) पर आधारित होता है। छात्रों को ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान अनुसंधान परियोजना करने के लिए 20,000/- रुपये प्रति वर्ष का मेंटरशिप अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई) सर्वसमावेशी स्कीम "प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना" के तहत केंद्रीय क्षेत्र की दो छात्रवृत्ति स्कीमों को लागू कर रहा है, अर्थात् (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति योजना: उन पात्र मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो बारहवीं कक्षा में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20 पर्सेन्टाइल में हैं और जिनकी पारिवारिक आय ₹ 4.5 लाख रू. प्रति वर्ष तक है। प्रति वर्ष 82,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध हैं (छात्रों के लिए 41000 और छात्राओं के लिए 41000)। इन्हें राज्य की 18-25 वर्ष के आयु समूह की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है। छात्रवृत्ति की राशि पहले तीन वर्षों के लिए ₹ 12,000/- प्रति वर्ष और चौथे एवं पांचवें वर्ष के लिए₹ 20,000/- प्रति वर्ष है, (ii) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कीम: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कीम (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एसएसएस) का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के युवाओं को इन संघ शासित प्रदेशों के बाहर के शैक्षिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्षों के साथ अंत:क्रिया करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे उनको मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के छात्र जिनकी पारिवारिक आय ₹ 8.0 लाख प्रति वर्ष तक है और जिन्होंने इन संघ शासित प्रदेशों से बारहवीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। जिन छात्रों ने इन संघ शासित प्रदेशों के बाहर या तो केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों पर प्रवेश प्राप्त किया है और साथ ही जिन छात्रों ने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है, वे छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र हैं। प्रत्येक वर्ष 5000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100)। शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिएछात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति की दर सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 30,000 प्रति वर्ष, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष और चिकित्सा अध्ययन के लिए ₹ 3.0 लाख प्रति वर्ष है। स्कीम के अंतर्गत सभी छात्रों को ₹ 1.0 लाख प्रति वर्ष का निश्चित रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) 70 संस्थानों में क्रियान्वित स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करके छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग इन पाठ्यक्रमों के तहत सभी चयनित छात्रों को विज्ञान निष्णात, जैवप्रौद्योगिकी हेतु 5000/- रुपये प्रति माह, विज्ञान निष्णात कृषि जैवप्रौद्योगिकी के लिए 7500/- रुपये प्रति माह और एमवीएससी/एमटेक जैवप्रौद्योगिकी छात्रों हेतु 12000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने देशभर के 62 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 70 स्नातकोत्तर शिक्षण पाठ्यक्रम कार्यान्वित किए हैं, जिससे सामान्य जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम और विशेष पाठ्यक्रम जैसे चिकित्सा, कृषि, समुद्री, पशु चिकित्सा, औद्योगिक, खाद्य और भेषज जैवप्रौद्योगिकी और मानव आनुवंशिकी की पेशकश हो रही है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु, डीबीटी स्नातकोत्तर डिग्री के अभिन्न अंग के रूप में 6 मास की अवधि के अंत:प्रतिष्ठान अनुसंधान प्रबंध कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने वाला प्रति छात्र ₹ 50,000/- का थीसिस अनुदान प्रदान कर रहा है। डीबीटी सहायित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट-बायोटेक्नोलॉजी (जीएटीबी) परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना: भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपनी स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 2 वर्ष की अवधि के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट)/ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टिट्यूड टेस्ट (जीपैट)/ सामान्य अभिकल्प प्रवेश परीक्षा (सीड) उत्तीर्ण छात्रों हेतु 12,400/- रुपये प्रति माह की दर से स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करती है। पीजी छात्रवृत्ति एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / विभागों में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेशप्राप्त छात्रों को प्रदान की जाती है; (ii) एआईसीटीई छात्रा प्रगति छात्रवृत्ति योजना मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 2014 में शुरू की गई थी। यह योजना एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान में प्रवेशप्राप्त छात्रों को और लैटरल एंट्री के माध्यम से डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष अथवा डिग्री / डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के छात्रों को प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियां (डिप्लोमा हेतु 5000 और डिग्री हेतु 5000) प्रदान करती है। प्रति परिवार अधिकतम दो लड़कियां और परिवार की कुल आय <₹ 8 लाख प्रति वर्ष (iii) विकलांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 2014 में शुरू की गई। यह योजना एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेशप्राप्त दिव्यांग छात्रों को डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या पार्श्विक प्रविष्टिके माध्यम से डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान करती है। परिवार की कुल आय <₹ 8 लाख प्रति वर्ष और विकलांगता ≥ 40% है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईएआरआई), नई दिल्ली छात्रों को एमएससी/एमटेक में शामिल होने के लिए 12,640/- रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। स्नातक कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया गया है और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह की दर से अध्येतावृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

(ख) "किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना" (केवीपीवाई) कार्यक्रम 1999 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा लागू किया गया था ताकि अनुसंधान के लिए प्रतिभा और अभिक्षमता वाले छात्रों की पहचान की जा सके; उन्हें अपनी शैक्षणिक क्षमता को साकार करने में मदद की जा सके, उन्हें विज्ञान में अनुसंधान करियर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और देश में अनुसंधान और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रतिभावानों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। केवीपीवाई अध्येताओं को भारत में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अधिकतम पांच साल की अवधि के फेलोशिप की पेशकश की जाती है, बशर्ते कि वे बुनियादी विज्ञान क्षेत्रों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केवीपीवाई के तहत सहायित युवाओं की संख्या, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संलग्न है।

अनुलग्नक

2019-20 से 2021-22 के दौरान केवीपीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार वितरण

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या		
		2019-2020	2020-21	2021-2022
1	आंध्र प्रदेश	105	100	135
2	असम	6	10	27
3	बिहार	41	59	47
4	चंडीगढ़	54	10	12
5	छत्तीसगढ़	17	31	24
6	दिल्ली	218	200	244
7	गोवा	7	6	7
8	गुजरात	147	154	197
9	हरियाणा	114	194	144
10	जम्मू और कश्मीर	1	4	5
11	झारखंड	37	56	48
12	कर्नाटक	271	234	253
13	केरल	96	78	71
14	मध्य प्रदेश	70	81	83
15	**महाराष्ट्र**	**358**	**397**	**378**
16	ओडिशा	66	85	89
17	पुदुचेरी	5	5	2
18	पंजाब	83	155	154
19	राजस्थान	377	274	313
20	तमिलनाडु	136	150	189
21	तेलंगाना	217	180	199
22	त्रिपुरा	10	9	14
23	उत्तर प्रदेश	211	228	194
24	उत्तराखंड	13	26	16
25	पश्चिम बंगाल	242	238	229
26	अन्य	2	0	0
	महायोग	**2904**	**2964**	**3074**